

## समाचार-प्रकाष्णनार्थ:-

19 अप्रैल सोमवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 249 ट्रीप

107 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 19 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टै<sup>a</sup> चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 19 अप्रैल मंगलवार को 107 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टै<sup>a</sup> चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

19 अप्रैल मंगलवार को डम्पर से 26640 किलो, टै<sup>a</sup> कटर से 10615 किलो, मैजिक सूखा कचरा 46165 किलो, मैजिक गीला कचरा 24255 किलो, सेनेटरी कचरा 2 किलो, घरेलू हानिकारक कचरा 1 किलो इस तरह कुल 107678 किलो कचरा जुलवानिया टै<sup>a</sup> चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

नगर निगम के विभिन्न करों से 12.98 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम 19 अप्रैल । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास षाखा, बिल्डिंग परमिष्न के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करों के तहत 19 अप्रैल को कुल राषि रूपये 12,98,095/- का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 19 अप्रैल को संपत्तिकर कार्यालय

596820, वसूली दल 200000 कुल 796820, जलकर कार्यालय से 322150, वसूली दल 79110 कुल 401260, स्पॉट फाईन 12950, दुकान-गुमटी किराया कार्यालय 49066, वसूली दल 23760 कुल 72826 व लीजरेंट 14239 इस तरह कुल राषि रूपये 12,98,095/- का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

15 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा  
दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन  
बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से  
बर्खास्त

रतलाम 19 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरुशोत्तम के  
निर्देषानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में  
प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके  
तहत 19 अप्रैल को प्रातः 14 व दोपहर में 1 सफाई मित्र बिना सूचना के  
अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार  
एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण  
बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की बिफ्ट में  
उपस्थित रहते हैं व दोपहर की बिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर  
संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

19 अप्रैल मंगलवार को झोन क्रमांक 1 में सुनील-सोहनलाल, पुश्पाबाई पति  
प्रहलाद, विजय-फुलचन्द, उमेष-प्रहलाद, अजय-विनोद, बादल-दिलीप, झोन क्रमांक  
2 में रमेष-मुंषी, लताबाई पति संजय, बबीताबाई पति कमल, उशबाई पति  
मनोहर, सुगनाबाई पति षंकर, रवि-सुरेष, झोन क्रमांक 3 में मुकेष-गोवर्धन, झोन  
क्रमांक 4 में राधाबाई पति ईर्ष्वर, दोपहर की बिफ्ट में झोन क्रमांक 4 में  
सुनिताबाई पति षिव इस तरह 15 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल  
से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से  
बर्खास्त/निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य  
स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलंबन की कार्यवाही की  
जायेगी।

**कचरा गंदगी करने पर 9 दुकानें सील**

गंदगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 11 व्यक्तियों पर जुर्माना रतलाम 19 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर बहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैं, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 19 अप्रैल मंगलवार को 11 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया साथ ही कचरा एवं गंदगी करने पर विष्व मंगल सरकार फ्रुट, श्रीकृष्ण रेस्टोरेंट, एवर फ्रेष वेजीटेबल फ्रुट मार्केट, सब्जी फल की दुकान व 5 पान की दुकानें सील की गईं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार मोनू हिलोड पर 1000, भारत इलेक्ट्रॉनिक, विनोद उपाध्याय, दषरथ, सहज कार डेकोरेट्स पर 500-500, कलष पंड्या, मोहित सोनकर, विजय कहार, पर 200-200, विनोद प्रजापत, स्वर्ण वेल्डीन व आमीन पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाई दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही सर्वश्री कुलदीप भट्ठ, विजय मेहना, मनीश झांझोट, अंकित पुरोहित, राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

**रात्रिकालिन सफाई के 7 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा**

रतलाम 18 अप्रैल । बहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा 18 अप्रैल सोमवार को निरीक्षण किये जाने पर मोहित-प्रभुदयाल, सन्नी-मुकेष, राहूल-राजकपूर, पंकज-फिरोज, बेखर-मदनलाल, महेष-मिठू व आनन्द-बाबुलाल द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व

सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिष्ठत अवैध निर्माण का होगा प्रष्मन (कम्पाउडिंग)

30 जून तक प्रष्मन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिष्ठत छूट

रतलाम 19 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रष्मन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिष्ठत के स्थान पर 30 प्रतिष्ठत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रष्मन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिष्ठत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश बासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रष्मन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिष्ठत के स्थान पर 30 प्रतिष्ठत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिष्ठत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरुशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रष्मन (कम्पाउडिंग) 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री  
सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मोनैटर  
7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 19 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री के नियमानुसार  
निश्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर  
में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर  
7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिष्न 2.0 के  
अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा  
योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री  
बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिश्ट सामग्री कांक्रीट, इंट,  
मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाईल नम्बर  
7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

ज्वान पालकों को अपने ज्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें  
रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही  
रतलाम 19 अप्रैल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व  
356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों  
में ज्वान पालते हैं वे अपने ज्वान का रजिस्टर बन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग  
की लायसेंस बाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध  
दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ज्वान  
पालकों द्वारा अपने ज्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के

बिना आवारा ज्वान की भाँति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ज्वानों एवं ज्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ज्वान पालक जिन्होने अपने ज्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले ज्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ज्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ज्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000/- एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500/- प्रति ज्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्श 100/- रूपये जमा कराना होगा। ज्वान पालकों को अधिकतम् 2 ज्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ज्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ज्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ज्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3369 हितग्राही पीएम स्वनिधि के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 19 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूँजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूँजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने

हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूँजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राष्ट्रीय रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यषील पूँजी हेतु 220 हितग्राहियों को राष्ट्रीय रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है। पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाइल नम्बर साथ लाना होगा।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 19 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिष्ठित कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषाँप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिष्ठित कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 19 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकलिपित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/19.04.2022/न.पा.निगम, रतलाम.